

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, दुगडडा

पत्रांक-452/निविदा/टी-02/दिनांक-दुगडडा-फरवरी 20, 2019।

निविदा सूचना संख्या 05 /अ0अ0/2018-19

उत्तराखण्ड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायेँ दिनांक 11-03-2019 को अपराहन 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 12-03-2019 को सांय 3.30 बजे कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुगडडा के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक-25.02.2019 से 11.03.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक कय किये जा सकते है। वर्गीकृत श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि पंजीकरण के प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि तथा निविदा प्रपत्रों का निर्धारित मूल्य देकर निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। निविदा खोलने की तिथि दिनांक 12-03-2019 को अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।

क0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि रूपये में	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	4711 नार्बाड के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखण्ड में राजसेरा नहर का पुनरोद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य (रीच 2000मी0 से 3200 मी0 तक)	45,000.00	रू0 2000.00 +18% जी0एस0टी0	3 माह	डी एवं उच्चतर
2	4711 नार्बाड के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखण्ड में आमसैण नहर का पुनरोद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य (रीच 0.00 मी0 से 500 मी0, 700 मी0 से 900 मी0, 1700मी0 से 1900 मी0 तक)	45,000.00	रू0 2000.00 +18% जी0एस0टी0	3 माह	डी एवं उच्चतर

शर्तः-

1- प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ वांछित धरोहर धनराशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंको, एफ0डी0आर, सी0डी0आर तथा भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्गत बचत बैंक पास बुक/राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में जो कि अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुगडडा के नाम से बंधक हो, संलग्न करनी अनिवार्य है।

कमशः—2

- 2- स्वीकारण की मूल प्रति निविदा लेते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3- निविदा लेते समय धरोहर धनराशि जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड दुमका प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 4- निविदा हेतु ठेकेदार के पास लगभग रू0 10.00 लाख का एक समकक्ष कार्य का अनुभव होना चाहिए तथा मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही ठेकेदार को निविदा बिक्री की जानी सम्भव होगी।
- 5- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 5 (1) उपरोक्त निविदायें वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में आमंत्रित की जा रही है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में निविदायें स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
- 6- किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- 7- डाक, तार, फैंक्स, इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त निविदायें मान्य नहीं होगी।
- 8- सफल निविदादाताओं को अनुबन्ध करने से पूर्व नियमानुसार सम्पूर्ण 10 प्रतिशत देय धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंको की एफ0डी0आर/सी0डी0आर तथा भारतीय डाक विभाग द्वारा निर्गत बचत बैंक की पासबुक/बचत पत्र के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके द्वारा डाली गयी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 9- निविदा प्रपत्रों के साथ रूपये 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाँम्प 1.00 रूपये के रसीदी टिकट एवं निर्धारित हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा डाली गयी निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदा रद्द कर दी जायेगी।
- 10- निविदा में दी गयी दरें निविदा डालने के दिनांक से 90 दिन तक मान्य होगी।
- 11- निविदादाता को अनुबन्ध करते समय नियमानुसार धरोहर धनराशि पर निर्धारित स्टाँम्प ड्यूटी नान जुडिशियल स्टाँम्प के रूप में देय होगी।
- 12- शासन द्वारा निर्धारित जीएसटी, आयकर, रॉयल्टी, लेवर सेस व अन्य कटौतियाँ ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार काटी जायेगी।
- 13- अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा स्वयं कार्य स्थल पर कार्य कराया जायेगा। वे किसी अन्य व्यक्ति को सबलैट नहीं करायेंगे, ताकि कार्य की गुणवत्ता के लिये अनुबन्धित ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया जा सके।
- 14- निविदादाता को मुहर बन्द लिफाफे पर अपना नाम व पता अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 15- कार्य की ड्राइंग व अन्य विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है।
- 16- सफल निविदादाता को प्रस्तुत किये गये सभी प्रमाण पत्रों की जाँच/सत्यापन के उपरान्त ही अनुबन्ध करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- 17- शेष सभी शर्तें नियमावली निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती हैं।
- 18- यदि बाढ़, दैवी आपदा या अन्य किन्ही कारणों से फर्म द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई सामग्री या टी0एण्डपी0 की क्षति होती है तो उसके लिये फर्म स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, विभाग किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 19- निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की सरकारी/गैर सरकारी क्षति होने पर ठेकेदार द्वारा स्वयं के धन से ठीक कराना होगा एवं कार्य स्थल पर किसी प्रकार की जन हानि आदि होने पर ठेकेदार ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
- 20- इस कार्य की गुणवत्ता की जाँच एक अलग संस्था द्वारा समय-समय पर उनकी प्रयोगशाला में करायी जायेगी, जिसमें निर्माण सामग्री की जाँच, सीमेंट की जाँच, कंक्रीट आदि की जाँच सम्मिलित है। इस संस्था द्वारा उपलब्ध जाँच ठेकेदार को मान्य होगी और यदि जाँच मानकों के अनुसार नहीं आती है, तो किया गया कार्य पुनः करना होगा या नियमों के अनुसार कार्यों में कमी के लिये आर्थिक दण्ड ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड दुमका
Distt. Garhwal